Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged irregularities in disbursement of funds under National Rural Health Mission.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : अध्यक्ष महोदया, धन्यवाद।

महोदया, पिछले कई सालों से एन.एच.एम. स्कीम पूरे देश में चलाई जा रही है, जिसके तहत हमारी सेहत के लिए सेंट्रल गवन्मेंट द्वारा ग्रांट दी जाती है। हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में इक्विपमेंट्स और दवाइयों के लिए एन.एच.एम. के माध्यम से 808 करोड़ रुपये आए। हमने जिला वाइज़ आर.टी.आई. लगाकर पता किया। अलग-अलग वस्तुओं को जिला लेवल पर, परचेज़ करने की लिमिट एक लाख रुपये तक की है। इन वस्तुओं को एन.एच.एम. और मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत एक एक्सकिलेटिड प्राइस पर खरीदा जा रहा है। हिसार में प्रेग्नेंसी स्ट्रिप्स का टेंडर प्राइस 2.70 रुपये होता है, लेकिन अलग-अलग जिलों में 28 रुपये तक ये प्रेग्नेंसी स्ट्रिप्स परचेज़ की जाती हैं।

मैं यह मामला भारत सरकार के संज्ञान में इसलिए लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इक्विपमेंट्स और मेडिसिंस पर निरंतर पूरे देश में अलग-अलग प्राइस पर सामान खरीदा जाता है और अपने भाई-बंधुओं को बिना लाइसेंसिज़ की दुकानों से फायदा पहुंचाने का काम किया जाता है। मेरा यह आग्रह है कि भारत सरकार इस पूरे मामले में हरियाणा प्रदेश में एन.एच.एम. का खास तौर पर पिछले तीन फाइनेंशियल इयर्स का कैग ऑडिट करवाने का कार्य करे, क्योंकि हमारे पास इसकी प्राइसिंग है। कैथल जिले में प्रेग्नेंसी स्ट्रिप 21 रुपये की खरीदी गई, वहीं जींद में यह 28 रुपये की खरीदी गई। इसी तरह करनाल में इसे 7 रुपये का खरीदा गया। अलग-अलग प्रदेशों में यह करोड़ों रुपयों का स्कैम है, हरियाणा प्रदेश का तो हमारे पास एविडेंस है। जिस वस्तु की 2.70 रुपये की टेंडर हुई है, अगर वह

एन.एच.एम. और मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत इतने एक्सकिलेटिड प्राइस पर खरीदी जा रही है, तो इसके ऊपर सरकार जरूर इंक्वॉयरी इनीशिएट कराए। मैं चाहूँगा कि माननीय हैल्थ मिनिस्टर इस विषय पर जल्द ही कैग ऑडिट करवाने के ऑर्डर करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. कुलमणि सामल, को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कपिल पाटील। क्या वे आए हैं?